कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पंत्राक–2779/मीरजापुर/ 15, दिंनाक, मीरजापुर जनवरी 3 2018।

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0प्र0, पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

विषय– जनपद–मीरजापुर में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 जिगना–दादर कला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का कार्यालय पत्रांक–8बी./यू.पी./04/50/2017/एफ.सी./733, दिनांक 01.01.2018।

महोदय,

जनपद–मीरजापुर में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 जिगना–दादर कला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के कार्यालय पत्रांक–8बी./यू.पी./04/50/2017/एफ.सी./733, दिनांक 01.08.2018 द्वारा उसमें उल्लिखित नौ शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जायें। ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (6.5475X2=13.095 ha) अर्थात् 14.00 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) निम्न प्रकार कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी–कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0, कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक–128/2–37–2(सीलिंग दर) लखनऊ, दिनांक 05.08.2016 के अनुसार मुद्रा स्फीती के कारण 6% वृद्धि सहित धनराशि =14.00X131410.40 =18,39,746.00 रू0 (अठारह लाख उन्तालीस हजार सात सौ छियालिस रू0 मात्र) रूपया एवं प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0, शासन, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के प्रस्तर दो में उल्लिखित विवरण के अनुसार विभागों द्वारा डी0सी0एल0 एवं सी0सी0एल0 कार्यो पर अनुमन्य 12.5% सेन्टेज (5 % दक्षता घटाने पर) सहित वांछित धनराशि (1)–18,39,746.00 में 5% घटाने पर धनराशि = 17,47,759.00 (2)– उक्त 17,47,759.00 पर 12.5% सेन्टेज सहित वांछित धनराशि =**19,66,229.00 (उन्नीस लाख, छियासठ हजार, दो सौ उन्तीस रूपया मात्र)** जमा किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइनके नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधें (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) निम्न प्रकार कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी–कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0, कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक–128/2–37–2(सीलिंग दर) लखनऊ, दिनांक 05.08.2016 के अनुसार मुद्रा स्फीती के कारण 6% वृद्धि सहित धनराशि

= 6.5475X131410.40 =860410.00रू0 (आठ लाख साठ हजार चार सौ दस रू0 मात्र) रूपया, प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0, शासन, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के प्रस्तर दो में उल्लिखित विवरण के अनुसार विभागों द्वारा डी0सी0एल0 एवं सी0सी0एल0 कार्यो पर अनुमन्य 12.5% सेन्टेज (5 % दक्षता घटाने पर) सहित वांछित धनराशि (1)–860410.00 में 5% घटाने पर धनराशि =8,17,390.00, उक्त 8,17,390.00 पर 12.5% सेन्टेज सहित वांछित धनराशि **=9,19,564.00 (नौ लाख, उन्नीस हजार, पॉच सौ चौसठ रूपया मात्र)** जमा की जायेगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) रूपया 6.26 लाख रूपया प्रति हेक्टयर के दर से 6.5475 हे0 X 6.26 लाख = रूपया 40,98,735.00 ,**(चालीस लाख अठाद्नबे हजार सात सौ पैतीस रू0 मात्र)** की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) को प्रेषित की जायेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ.सी.(Pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्य जीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधो के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन

भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

9. राज्य सरकार उक्त वन प्रभाग में भविष्य में प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त वन प्रभाग के आस–पास स्थित स्थल का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयन सुनिश्चित करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पत्र संख्या– II/FC/ROC/95 /2011/Part-v/1227 दिनांक 02.02.2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या–2779 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर